राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर – 302005

दूरभाष नं- **0141-2227404** **Email ID:-me.jaipur@rajasthan.gov.in**

नीलामी सूचना

क्रमांकः ख.अ./जय/स्टोर/2024–25/ दिनांक

मुख्यालय का नाम	: कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर
निविदा कार्य	: विभिन्न अनुपयोगी/नकारा/स्क्रेप की नीलामी ।
नीलामी की कुल लागत	: 0.72 लाख
कुल धरोहर राशि	: पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत परन्तु अधिकतम राशि रू. 1436/–(D.D.)
फार्म मिलने की तारीख	: 09.09.2024(नीलामी तिथि)

(श्याम कापड़ी)
खनि अभियंता जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर

नीलामी सूचना

क्रमांकः ख.अ./जय/स्टोर/2024–25/९१९ दिनांक 28/8/24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के भण्डार मे पड़े अनुपयोगी/नकारा सामान/विभिन्न स्क्रेप (जैसे एल्यूनियम इमरती, टाइप राइटर, टेलिफोन बॉक्स, टेबल आयरन, कूलर पम्पसेट इत्यादी) (पूर्ण विवरण विभागीय पोर्टल) जिनकी पुस्तक मूल्य 0.72 लाख रूपये है, की नीलामी निर्धारित कमेटी के समक्ष 'जहां है – जैसे है' के आधार पर निम्न शर्तो पर दिनांक 09.09.2024 को दिन के 11.00 बजे खुली बोली द्वारा की जावेगी । इच्छुक बोलीदाता दिनांक 09.09.2024 को दिन के 11.00 बजे तक निर्धारित धरोहर राशि (पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत) जो कि अधिकतम राशि रू. 1436/होगी, का डिमाण्ड ड्रॉफट जो कि **खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग जयपुर** के पक्ष में हो जमा करवाकर निम्न शर्तो के तहत बोली मे भाग ले सकता है ।

शर्ते :–

1. बोली से पूर्व इच्छुक बोलीदाता को निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी, जैसे कि असफल बोलीदाता को मौके पर ही लौटा दी जावेगी ।
2. जो वस्तु 'जहां है – जैसे है', आईटम/लौटवार की जावेगी एवं सामान का पूर्ण विवरण विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है ।
3. नीलामी बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/रद्ध/स्थगित करने का अधिकार कमेटी को सुरक्षित रहेगा ।
4. कम से कम तीन बोलीदाताओ के उपस्थित होने पर नीलामी शुरू की जावेगी ।
5. सामान का विवरण, मात्रा, स्थिति किसी भी कार्य दिवस मे खण्डीय भण्डार मे कार्यालय समय मे उपस्थित होकर देखा जा सकता है ।
6. अन्तिम बोलीदाता (सफल/स्वीकृत बोलीदाता) को सामान की लागत (आयटमवार/लौटवार) की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करानी होगी तभी उसे अग्रिम सामान की बोली मे भाग लेने दिया जावेगा । शेष 75 प्रतिशत राशि तीन दिवस में (2 बजे से पूर्व) जमा कराकर सामान उठाना होगा अन्यथा 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर सामान दोबारा नीलाम किया जावेगा ।
7. नियमानुसार जी.एस.टी., आयकर की राशि संबंधित विभाग में पृथक रूप से स्वंय के स्तर पर जमा कराना होगा। जिसकी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
8. नीलामी स्थल खनि अभियंता स्टोर रूम होगा ।
9. किसी कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को उसी समयानुसार नीलामी की जावेगी ।
10. सामान की पूर्ण राशि जमा कराने के तुरन्त बाद सामान उठाना होगा अन्यथा चौकीदारी एवं देखभॉल का 500.00 प्रतिदिन अलग से जमा कराना होगा ।

अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं विभागीय नियमानुसार होगी ।

(श्याम कापडी)
खनि अभियंता जयपुर